उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-77/1368/एक-1-2016-1(35)/2016

लखनऊ: दिनॉक: 21 अक्टूबर, 2016

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 84 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित लोक प्रयोजन की भूमि खलिहान, जो मौके पर खाली व अनुपयोगी है, को ऐंचाडा कम्बोह में प्रत्येक वर्ष दीपावली के बाद "कल्कि महोत्सव" के आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए जनहित मे इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गॉव पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित की गई थी, का श्रेणी परिवर्तन करते हुए 'सार्वजनिक पार्क' दर्ज करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

<u>अनुसूची</u>

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	सम्भल	सम्भल	सम्भल	ऐंचाडा कम्बोह	283	1.036	"कल्कि महोत्सव" के आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए जनहित मे श्रेणी परिवर्तन।
				योग	**कुल 01 गाटा**	**1.036 हे0**	

2. कलेक्टर, सम्भल इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 से शासित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि कुल 01 गाटा रकबा 1.036 हे0 का श्रेणी परिवर्तन नि:शुल्क किया

-2-

shashadesh.up.nic.in

जा रहा है। प्रश्नगत भूमि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित होगी।

4. सार्वजनिक पार्क की भूमि किसी निजी संस्था को उपलब्ध नहीं करायी जायेगी अपितु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के अधीन लोक प्रयोजन भूमि "सार्वजनिक पार्क" के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज की जायेगी तथा समस्त ग्रामवासियों के उपयोग हेतु उपलब्ध रहेगी।

5. कलेक्टर द्वारा गॉव पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित कुल 01 गाटा रकबा 1.036 हे0 खलिहान भूमि के बराबर ही ग्राम वासियों की उपयोगिता के आधार पर रकबा 1.036 हे0 अन्य भूमि जो लोक प्रयोजन की न हो, को "खलिहान" के रूप में आरक्षित किया जायेगा।

6. कलेक्टर द्वारा तदनुसार अधिकार अभिलेख (खतौनी) तथा मानचित्र में संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण की जायेगी।

7. उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन कलेक्टर, बिजनौर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-77/1368(1)/एक-1-2016-1(35)/2016 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. आयुक्त मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
3. कलेक्टर, सम्भल के पत्र संख्या-1507(1)/डी.एल.आर.सी./सा0पार्क/2016 दिनॉक 27.07.2016 तथा पत्र संख्या-1581/सार्वजनिक पार्क/डी.एल.आर.सी./2016-17, दिनॉक 20.10.2016 के क्रम में।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(बीरबल सिंह)
उप सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

shasnadesh.up.nic.in